

12.6.18


पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खारा महेचान में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं सलंगन राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी



अ.न.

नवलराम

नवलराम  
(वकील प्रार्थी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत / केम्प कोर्ट स्थल-अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिरं सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 15/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

नवलाराम पुत्र वागाराम

जाति जाट

निवासी बाण्डानाडा(चाडों की ढाणी)

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1. विरधाराम पुत्र रूपाराम

2. भीखाराम पुत्र रूपाराम

3. करनाराम पुत्र किशनाराम

4. जुंझाराम पुत्र फुआराम

5. राणाराम पुत्र फुआराम

6. जसीदेवी पत्नी फुआराम

7. भैराराम पुत्र फुआराम

8. जेठाराम पुत्र दमाराम

9. गवरी पत्नी उदाराम

जाति जाट

निवासी- बाण्डानाडा

(चाडों की ढाणी)

तहसील सिणधरी व जिला

बाड़मेर

10. गीगीदेवी पत्नी बुधसिंह

11. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह

12. भैरसिंह पुत्र रूपसिंह

जाति रावणा राजपूत

निवासी-बाण्डानाडा

(चाडों की ढाणी) तहसील

सिणधरी व जिला बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थित:-1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगण:-एकतरफा।


## आदेश

दिनांक-12 .6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। एवं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

18310  
की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है।  
2. प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। एवं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।


4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व सीमाज्ञान रिपोर्ट 2.7.2016 एवं सलंगन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में

कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

  
**उत्खण्ड अधिकारी**  
**सिणधरी**

कोई आपत्ति नहीं होगा। फकत तारीख

राजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते स्वीकार किया जाकर ग्राम बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी खेत खसरा संख्या 26 रकबा 25-02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

  
(अंजुम ताहिर समा)  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.6.18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी